



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236981
CG-DL-E-01072022-236981

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472]
No. 472]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2022/ आषाढ़ 10, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2022/ASHADHA 10, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 506(अ).—केंद्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 6 में,—
(i) “एक लाख रुपये” शब्दों के स्थान पर “दस लाख रुपये” शब्द रखे जाएंगे;
(ii) “तीस दिनों” शब्दों के स्थान पर “तीन महीने” शब्द रखे जाएंगे;
- उक्त नियमों के नियम 9 में,
(i) उपनियम (1) के खंड (ड) में, “पंद्रह दिन” शब्दों के स्थान पर “पैंतालीस दिन” शब्द रखे जाएंगे;
(ii) उपनियम (2) के खंड (ड) में, “पंद्रह दिन” शब्दों के स्थान पर “पैंतालीस दिन” शब्द रखे जाएंगे;
- उक्त नियमों के नियम 13 के खंड (ख) का लोप किया जाएगा।
- उक्त नियमों के नियम 17क में, “पंद्रह दिन” शब्दों के स्थान पर “पैंतालीस दिन” शब्द रखे जाएंगे;

6. उक्त नियमों के नियम 20 में, “सादे कागज पर” शब्दों के स्थान पर “इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप सहित ऐसे प्ररूप और रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. II/21022/23(04)/2021-एफसीआरए-III]

वी.एस. राणा, निदेशक (एफसीआरए)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 349(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 292 (अ), तारीख 12 अप्रैल, 2012, सा.का.नि. 966 (अ), तारीख 14 दिसम्बर, 2015, सा.का.नि. 199 (अ), तारीख 7 मार्च, 2019, सा.का.नि. 659 (अ), तारीख 16 सितंबर, 2019, सा.का.नि. 695(अ), तारीख 10 नवंबर, 2020 द्वारा और शुद्धिपत्र सा.का.नि. 17(अ), तारीख 11 जनवरी, 2021 द्वारा संशोधित किए गये।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2022

G.S.R. 506(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 6, —
(i) for the words “one lakh rupees”, the words “ten lakh rupees” shall be substituted;
(ii) for the words “thirty days”, the words “three months” shall be substituted;
3. In the said rules, in rule 9,
(i) in sub-rule (1), in clause (e), for the words “fifteen days”, the words “forty five days” shall be substituted;
(ii) in sub-rule (2), in clause (e), for the words “fifteen days”, the words “forty five days” shall be substituted;
4. In the said rules, in rule 13, clause (b) shall be omitted.
5. In the said rules, in rule 17A, for the words “fifteen days”, the words “forty five days” shall be substituted;
6. In the said rules, in rule 20, for the words “on a plain paper”, the words “in such form and manner, including in electronic form as may be specified by the Central Government” shall be substituted.

[F. No. II/21022/23(04)/2021-FCRA-III]

V.S. RANA, Director (FCRA)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 349(E), dated the 29th April, 2011 and subsequently amended, vide G.S.R. 292 (E), dated the 12th April, 2012, G.S.R. 966 (E), dated the 14th December, 2015, G.S.R. 199 (E), dated the 7th March, 2019, G.S.R. 659 (E), dated the 16th September, 2019, G.S.R. 695(E), dated the 10th November, 2020 and a Corrigendum vide G.S.R. 17(E), dated the 11th January, 2021.